न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
39 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	25.05.2017	14.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1—खाद्यकारोबारकर्ता श्री रूपचन्द बुलानी पुत्र श्री फत्यूमल बुलानी जाति सिन्धी निवासी बेनीप्रसाद की गली मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक मैसर्स श्री लक्ष्मी मेडिकोज बेनीप्रसाद जी की गली, मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक
2—मैसर्स श्री लक्ष्मी मेडिकोज बेनीप्रसाद जी की गली, मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक
3—श्रीमति बन्दना सेठी निवासी सी—65, कश्यप पथ, श्याम नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स सेठी ऐसोसियेट्स बेसमेन्ट पी 14, तेजाजी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर
4—मैसर्स सेठी ऐसोसियेट्स बेसमेन्ट पी 14, तेजाजी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर
5—श्री सुधीर जे. माधीवार पुत्र श्री धाराओ एल. माधीवार निवासी देव हाउस नं. 14, एच.बी. कूलोनी फेस द्वितीय, सोलन हिमाचल प्रदेश नॉमिनी मैसर्स मनीष फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ग्राम बलयाना पुरगना तह व जिला सोलन, हिमाचलन प्रदेश। रजिस्टर्ड ऑफिस— प्लॉट नं. 29—33, ऐनसिलरी इण्डस्ट्रीयल प्लॉट्स, गौवण्डी, मुम्बई, महाराष्ट्र।
6—मैसर्स मनीष फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ग्राम बलयाना पुरगना तह व जिला सोलन, हिमाचलन प्रदेश। रजिस्टर्ड ऑफिस— प्लॉट नं. 29—33, ऐनसिलरी इण्डस्ट्रीयल प्लॉट्स, गौवण्डी, मुम्बई, महाराष्ट्र।
7—श्री अमर श्रीवास्तव पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद निवासी एच नं. 171—आर, मॉडल टॉउन, करनाल नॉमिनी मैसर्स साईकेम फार्मा ग्राम गारोग जाटोली मन्दिर के पास, सोलन तह व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
8—मैसर्स साईकेम फार्मा ग्राम गारोग जाटोली मन्दिर के पास, सोलन तह व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण अनु.।

:—निर्णय—: **दिनांक** 14.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2016 को समय सायं 04:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री लक्ष्मी मेडिकोज बेनीप्रसाद जी की गली, मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री रूपचन्द बुलानी पुत्र श्री फत्यूमल बुलानी उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लिया तथा पूछने पर श्री रूपचन्द बुलानी ने स्वयं को मैसर्स श्री लक्ष्मी मेडिकोज बेनीप्रसाद जी की गली, मेहन्दीबाग टोंक का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य फूड सप्लीमेंट के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 189 मूल पैक प्रत्येक 200 मिलीग्राम पैक के **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** रखा हुआ था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री रूपचन्द बुलानी पुत्र श्री फत्यूमल बुलानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता रूपचन्द बुलानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** जिसके बैच नम्बर ईएसएम 1602 एवं पैंकिंग की दिनांक अप्रैल 2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 200 मिलीग्राम पैक के 12 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** के 12 मूल पैक प्रत्येक 200 मिलीग्राम पैक को तीन–तीन नग के बराबर–बराबर चार भाग तेयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक I–1424 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1424 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री रूपचन्द बुलानी पुत्र श्री फत्यूमल बुलानी मैसर्स श्री लक्ष्मी मेडिकोज बेनीप्रसाद जी की गली, मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स सेठी ऐसोसियेट्स बेसमेन्ट पी 14, तेजाजी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर का बिल प्रस्तुत किया। वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मेसर्स सेठी ऐसोसियेट्स बेसमेन्ट पी 14, तेजाजी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स मनीष फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ग्राम बलयाना पुरगना तह व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का बिल प्रस्तुत किया। पुनः आवेदक ने मैसर्स मैसर्स मनीष फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ग्राम बलयाना पुरगना तह. व जिला

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सोलन, हिमाचल प्रदेश को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स साईकेम फार्मा ग्राम गारोग जाटोली मन्दिर के पास, सोलन तह व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का बिल प्रस्तुत किया जिसे पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 5265 दिनांक 01.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 2790 / एक्ट / 2016 / 462 दिनांक 14.10.2016 अनुसार विक्रेता श्री रूपचन्द बुलानी से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 18.01.2019 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया ना ही दिनांक 18.01.2019 के बाद अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फूड सप्लीमेंट ऐल्फैरी प्लस सिरप (Food Supplement Elferri Plus Syrup)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 45,000 / – (अक्षरे पैंतालीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000 / – (अक्षरे एक लाख रू0), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000 / – (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी स. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000 / – (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 14.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक, राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक